ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-16/14

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* *श्रीमती शान्ति देवी, सावरकर बालविहार रोड, विदिशा विरूद्ध उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, मप्रमक्षेविविकलि. विदिशा (म0प्र0)*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
23/12/14	आवेदक की ओर से श्री आर.पी. सिंह उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री वलेचा, एडवोकेट तथा श्री समीर शर्मा, कार्यपालन यंत्री उपस्थित । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक T-26 श्रीमती शान्ति देवी विरूद्ध उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) में पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से उपभोक्ता की ओर से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि फोरम के आदेश के अनुसरण में देयक की राशि का समायोजन नहीं किया गया है तथा गलत बिल जारी करने के कारण उसे फोरम द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई गई है । 2. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया गया है कि फोरम ने यह माना है कि उपभोक्ता को 2780/– रू0 का देयक अधिक जारी किया गया था, जिसे अनावेदक ने अप्रैल, 2014 के विद्युत बिल में छूट करने की सहमति दी थी । फोरम ने यह भी आदेश किया है कि शिकायत का निराकरण नहीं करने के कारण हर्जानें की मांग को फोरम द्वारा अस्वीकार किया जाता है अर्थात् उपभोक्ता हर्जानें की मांग नहीं कर सकता । 3. उभय पक्ष को सुना गया । अनावेदक की ओर से उपस्थित कार्यपालन यंत्री ने बताया कि उपभोक्ता को सिंचाई प्रयोजन के लिए कनेक्शन दिया गया है, जिसका देयक प्रत्येक 6 माह में जारी किया जाता है तथा उपभोक्ता को जो बिल जारी किए गए थे उसमें 2780/– रू0 के अतिरिक्त 2400 रू0 का समायोजन भी कर दिया गया है । 4. उपभोक्ता का कहना है कि उसे संशोधित बिल जारी नहीं किया गया है, इसीलिए अनावेदक का यह कहना कि उसे छूट दी गई है उचित तथा विसंगत नहीं है । 5. फोरम के समक्ष उपभोक्ता ने जो आवेदन पेश किया था उसमें उसने बताया था कि हर महीनें उसे कितने रू0 का बिल जारी किया गया है, कितने का जारी किया जाना चाहिए और इस तरह उसने बताया था कि उसे 2779/– रू0 अधिक का देयक जारी किया गया है, जिसे अनावेदक ने स्वीकार किया था और अधिक बिलिंग की राशि का समायोजन करने की सहमति प्रदान की थी, परन्तु अप्रैल, 2014 में जो देयक जारी किया गया था उसमें इस राशि का समायोजन नहीं किया गया था । इस बिन्दु पर अनावेदक का कहना यह है कि फोरम के आदेश के पहले ही देयक जारी कर दिया गया था, इसीलिए उसका समायोजन देयक में नहीं दिलाया गया था, परन्तु अक्टूबर, 2014 में जो देयक जारी किया गया था उसमें उस राशि का समायोजन कर दिया गया था । **..... 2**	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-16/14

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* *श्रीमती शान्ति देवी, सावरकर बालविहार रोड, विदिशा विरूद्ध उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, मप्रमक्षेविविकलि. विदिशा (म0प्र0)*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	6. प्रश्न केवल इस बात का है कि उपभोक्ता अनावेदक द्वारा जारी किए गए देयक से संतुष्ठ नहीं है और अनावेदक का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता को संतुष्ठ करें कि विवादित राशि का समायोजन कब किया गया है । अनावेदक की एक समस्या यह है कि सभी देयक कम्प्यूटरीकृत जारी किए जाते हैं और हाथ से काम नहीं करने के कारण ऐसे संशोधित देयक जारी करना कठिन है । इस कठिनाई का निराकरण तभी हो सकता है, जबकि हाथ से देयक बनाकर उपभोक्ता को दे दिया जाए । 7. फोरम के आदेश के अनुसार अप्रैल, 2014 के देयक में 2780/– रू0 का समायोजन उपभोक्ता को करना था जो देयक में नहीं दर्शाया गया है और उसे अक्टूबर में दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति में अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014 तक उपभोक्ता को जो देयक जारी होना चाहिए अर्थात् विद्युत के वास्तविक उपभोग के आधार पर जो देयक जारी होना चाहिए उस देयकों में 2780/– रू0 की उपभोक्ता को छूट दी गई है इसका स्पष्ट विवरण देते हुए उपभोक्ता को एक माह के अन्दर जानकारी दे दी जाए । 8. तद्नुसार उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	